अनदान छोगाराम v/s कमलादेवी
मुकदमा नंबर 218 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2024	प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 512 व 528 रकबा 1.7240 व 0.9551 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना पालना [illegible] दिन [illegible] करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 51 दिनांक : 13.01.2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
छोगाराम पुत्र सवाराम		कमलादेवी पुत्री मांगाराम

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 218 / 2024 दिनांक :– 13.01.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदडीके खेत खसरा संख्या 512 व 528 रकबा 1.7240 व 0.9551 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 52 दिनांक : 13.01.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी सरवडी चारणान को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी छोगाराम पुत्र सवाराम जाति कलबी निवासी सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested